बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

निविदाकर्ताओं के लिए नोट्स

यह निविदा वर्ष 2024-25 में पैक्स निर्वाचन एवं अगले 05 वर्ष तक विभिन्न सहकारी समितियों के चुनाव के लिए (1) पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका, (2) निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका, (3) मतगणना अनुदेश, (4) निर्वाचन हस्तक, (5) नोमिनेशन फॉर्म, (6) पोस्टर, (7) पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम) एवं (8) पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) के मुद्रण/ क्रय करने से संबंधित है। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल निविदाकर्त्ता को कार्यादेश (ऑर्डर) दिये जाने के पश्चात उन्हें 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर मुद्रित सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी। निविदाकर्त्ता को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित निर्देशों (खण्ड- 1 से खण्ड- 16) और विशेष शर्तो को ध्यान से पढ़े और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इस निविदा में भाग लेंगे। उद्धरित दरें दृढ़ एवं निश्चित होनी चाहिए। निम्नलिखित निर्देशों के अनुपालन नहीं करने पर निविदाकर्ता के निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

1. निविदाएं नीचे दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जाएगी।

   (i) **लिफाफा-I:** यह तकनीकी निविदा होगी। इस लिफाफे में केवल दस्तावेज का परिशिष्ट-I, अग्रधन राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट, पंजीकरण के मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, प्रोपराईटर का आधार कार्ड की छायाप्रति, नवीनतम आयकर रिटर्न की छायाप्रति, बिक्री कर की निकासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, GST नम्बर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति और अनुबंध-I में आवश्यक अन्य अभिलेख संलग्न रहेगा। निविदा दस्तावेज बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज के लिए ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, अग्रधन राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट के अतिरिक्त संलग्न किया जाना चाहिए (कृपया नीचे पैरा 16 देखें)। इस लिफाफे में अग्रेषित पत्र आदि अन्य कोई कागजात नहीं रखना चाहिए। इस लिफाफे के शीर्ष पर " पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ मतगणना अनुदेश/ निर्वाचन हस्तक/ नोमिनेशन फॉर्म/ पोस्टर/ पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम)/ पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) की आपूर्ति के लिए तकनीकी निविदा" लिखा होना चाहिए और बायीं ओर निविदाकर्त्ता का पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए।

   (ii) **लिफाफा-II:** यह वित्तीय निविदा होगी। इस लिफाफे में केवल इस दस्तावेज की अनुसूची-। और उनके लिए प्रदान किये गये स्थानों में भरी गयी प्रस्तावित दरें शामिल होगी। अनुसूची-I, निविदाकर्त्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी होनी चाहिए। इस लिफाफे में अनुसूची-। के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं रखा जाना चाहिए। इस लिफाफे के शीर्ष पर "पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ मतगणना अनुदेश/ निर्वाचन हस्तक/ नोमिनेशन फॉर्म/ पोस्टर/

पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम)/ पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) की आपूर्ति के लिए दर बोली'' और बायीं ओर निविदाकर्त्ता का पता लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए।

(iii) ''पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ मतगणना अनुदेश/ निर्वाचन हस्तक/ नोमिनेशन फॉर्म/ पोस्टर/ पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम)/ पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) की आपूर्ति के लिए दर बोली'' लिखा हुआ लिफाफा यानि वित्तीय लिफाफा यह सुनिश्चित करने के बाद ही खोला जायेगा कि आवश्यक कागजात ''तकनीकी निविदा'' अंकित लिफाफे में संलग्न है।

(iv) निविदा पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ मतगणना अनुदेश/ निर्वाचन हस्तक/ नोमिनेशन फॉर्म/ पोस्टर/ पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम)/ पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) के मुद्रण एवं आपूर्ति करने के लिए निर्धारित दरें तय करने हेतु आमंत्रित की जा रही है। उक्त मुद्रण सामग्रियों में से प्रत्येक मुद्रण सामग्री के लिए सबसे कम दर वाले निविदाकर्ता L-1 को मुद्रण एवं आपूर्ति करने के लिए चयनित किया जायेगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को यह अधिकार होगा कि यदि L-1 निविदाकर्ता द्वारा उक्त प्रत्येक मुद्रण सामग्री की आपूर्ति गुणवत्ता योग्य एवं तय समय सीमा के अन्दर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में L-2 निविदाकर्ता को उक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिए आदेश दिया जा सकता है या पुर्ननिविदा भी की जा सकती है। यह अधिकार प्राधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2. **पात्रता:** बोली के लिए यह निविदा निमंत्रण ''पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका, निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका, मतगणना अनुदेश, निर्वाचन हस्तक, नोमिनेशन फॉर्म, पोस्टर, पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम) एवं पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें)'' के सभी मुद्रणों के लिए खुला है। निविदाकर्त्ता को अपने पुस्तक आदि मुद्रण से संबंधित पिछले अनुभव, उक्त सभी सामग्रियों के साथ मुद्रण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का उल्लेख करना होगा। निविदाकर्ता को कागजात के नमूनों के साथ हस्तपुस्तिका/ पोस्टर/ इत्यादि की छपाई और आपूर्ति के लिए अपना प्रस्ताव और दरें देनी होगी।

3. **अग्रधन राशि:** निविदाकर्त्ता को निविदा में भाग लेने हेतु ₹ 5,000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) की अग्रधन राशि **''मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना''** के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। उक्त राशि वापसी योग्य (Refundable) होगी। M.S.M.E. के तहत पंजीकृत कम्पनी/ फर्मों को अग्रधन राशि से छूट होगी।

4. **सुरक्षा राशि:** जब बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश (ऑर्डर) दे दिया जायेगा, तो सफल निविदाकर्ता को समझौता/ अनुबंध करना होगा। समझौते/ अनुबंध के साथ उन्हें कार्यादेश के मूल्य का 5% सुरक्षा राशि के रूप में निम्न में से किसी रूप में यह जमानत राशि के रूप में रहेगी:-

(i) N.S.C. 5 वर्ष अथवा अधिक अवधि का

(ii) 3/5 वर्ष का डाकघर सावधि जमा

(iii) अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद। किसी भी वाणिज्यिक बैंक का बैंकर्स चेक, मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पक्ष में जमानत राशि के रूप में गिरवी रखी जायेगी। S.S.I. (Small Scale Industries) इकाई के मामले में उन्हें कार्यादेश के मूल्य का 2% जमा करना होगा। कार्य 21 (इक्कीस) दिनों में पूरा न कराने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। जमानत राशि कार्य पूरा होने के बाद ही वापस की जायेगी।

5. **मूल्य:** निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संलग्न अनुसूची-। में कार्य की पक्की और निश्चित दर उद्धरित करेंगे। दर को सभी करों, रॉयल्टी आदि जैसे GST सहित उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसमें निर्धारित स्थल पर लोडिंग, ढुलाई और उतराई आदि शामिल है और इसे शब्दों और अंकों दोनों में लिखा जाना चाहिए। जिसमें सभी आकस्मिक शुल्क, उत्पाद शुल्क और लागू करों को शामिल करना चाहिए। दरों को एक इकाई के लिए उद्धरित की जानी हैं। वास्तविक मात्रा उन इकाईयों या उनके गुणकों के बराबर होगी।

(i) अनुसूची-। में दर्शायी गयी मात्रायें अनुमानित है। यह बढ़ या घट सकती है।

(ii) कीमते पहला ऑर्डर देने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और आपसी सहमति से इसे बढ़ाया जा सकता है।

6. **बीमा:** बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी भी रूप में बीमा शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। हालांकि आपूर्तिकर्ताओं को अपनी लागत पर पारगमन में क्षति या हानि के खिलाफ आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मुद्रित सामग्री के अंतिम रूप से सौंपे जाने तक परिवहन या कार्य निष्पादन के दौरान सामग्री की किसी भी प्रकार की हानि, चोरी या क्षति के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार जिम्मेवार नहीं होगा। अंतिम रूप से कार्य पूरा होने और अच्छी स्थिति में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सामग्री सौंपने तक आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होगा।

7. **भुगतान:** बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की संतुष्टि के अनुसार सामग्री की पूरी आपूर्ति करने के बाद 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति की गई सामग्री के लिए कोई अग्रिम की राशि भुगतान नहीं किया जाएगा। यद्यपि अच्छी स्थिति में कार्य पूरा होने के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन काम पूरा होने के बाद अप्रत्याशित कारणों से भुगतान में देरी से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

8. **समापन का समय:** सभी प्रकार से कार्य पूरा होने की अवधि लिखित कार्यादेश की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर है। इस समय-सारणी का अनुपालन करते हुए विफल रहने पर प्रतिदिन समझौते/ अनुबंध के मूल्य का 01 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ तक कि कार्यादेश रद्द भी किया जा सकता है। सुरक्षा राशि (जमानत राशि) जब्त भी की जा सकती है और फर्म को काली सूची में डाला भी जा सकता है।

9. **पैकिंग:** पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका/ मतगणना अनुदेश/ निर्वाचन हस्तक/ नोमिनेशन फॉर्म/ पोस्टर/ पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम)/ पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) को बंडलों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। बंडलों में फॉर्म आदि की संख्या को आदेश के समय दर्शाया जायेगा। परिवहन के दौरान चुनाव सामग्री की किसी भी क्षति के लिए आपूर्तिकर्ता पूरी तरह

से जिम्मेवार होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के कार्यालय में मुद्रित सामग्री अच्छी स्थिति में प्राप्त होने तक यह आपूर्तिकर्ता की अंतिम जिम्मेवारी होगी। आपूर्तिकर्ता इस कार्यालय में आपूर्ति की गयी सामग्री का उचित भंडारण अपनी लागत पर निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेगा। आपूर्तिकर्त्ता किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

10. **गारंटी/ वारंटी:** सफल निविदाकर्ता को यह घोषणा करनी होगी कि इस अनुबंध (जो बाद में की जाएगी) के तहत मुद्रित सामग्री निर्दिष्ट गुणवत्ता और कारीगरी की गयी होगी तथा अनुसूची-1 में उल्लिखित विनिर्देशों और विवरणों के अनुसार होगी। निविदाकर्ता को यह गारंटी देनी होगी कि सामग्री संलग्न नमूने की पुष्टि करती है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उस खेप को अस्वीकार करने का हकदार होगा जो विनिर्देश की पुष्टि नहीं करता है और यह सामग्री की अस्वीकृति आदि से संबंधित आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर होगा। आपूर्तिकर्ता को यदि ऐसा करने को कहा जाता है, तो उसे 07 (सात) दिनों के अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बढ़ायी गयी है, तो ऐसी स्थिति में अस्वीकृत मुद्रित सामग्री को प्रतिस्थापित करते हुए उसके स्थान पर नई एवं अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रित सामग्री उपलब्ध करनी होगी। उपर्युक्त अवधि प्रतिस्थापन की तिथि से प्रतिस्थापित सामग्री/ वस्तुओं पर लागू होगी अन्यथा आपूर्तिकर्ता बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को इस तरह के नुकसान का भुगतान करेगा, जो इसमें शर्तो के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हो सकती है।

11. **निरीक्षण:** हालांकि आपूर्तिकर्ता को निविदा के लिए आवेदन करने से पहले मुद्रित और आपूर्ति की जाने वाली सामग्री, निर्दिष्ट साईट पर सामग्री की ढुलाई और किये जाने वाले कार्य की विशिष्टताओं और गुणवत्ता के बारे में खुद से संतुष्ट होना होगा।

12. **निर्धारित खंड का अनुपालन करने में विफलता:** सामग्री को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विशिष्टता की पुष्टि करनी चाहिए। विनिर्देशों की पुष्टि नहीं करने वाले सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसी अस्वीकृत सामग्री को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा ऐसी अस्वीकृति या इनकार की सूचना जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने खर्च पर हटा दिया जायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुपालन में चूक की स्थिति में प्रेषित किसी भी अस्वीकृत सामग्री को सार्वजनिक नीलामी कर निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बिक्री की जा सकती है और बिक्री की राशि ऐसी बिक्री या नीलामी में खर्च की गई राशि की कटौती के बाद आपूतिकर्ता के खाते में शेष राशि जमा की जा सकेगी।

13. मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पास बिना कोई कारण बताये कार्य के सर्वोत्तम हित में किसी भी समय, किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या सफल निविदाकर्ताओं के बीच मात्रा को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. **निविदा की वैधता:** निविदा प्राप्ति के तिथि से 120 दिनों तक निविदा स्वीकृति और ऑर्डर देने के लिए वैध रहेगी।

15. मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का निर्णय अंतिम होगा।

यदि विशिष्टताओं की व्याख्या, कीमतों की निविदा दस्तावेज अनुसूची या किसी अन्य मामले या अनुबंध के संबंध में कोई विवाद या उदासीनता उत्पन्न होती है, तो मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

16. अनुबंधों सहित निविदा दस्तावेज बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वेबसाइट (https://bsea.bihar.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज के लिए ₹ 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट उपर्युक्त पैराग्राफ-3 में अंकित अग्रधन राशि के अतिरिक्त संलग्न किया जाना चाहिए। उक्त राशि ₹ 1,000/- अप्रत्यर्पणीय (Non-Refundable) है।

सचिव

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,

पटना।

BSEA dt.18.07.2o24 Raghu

विशेष शर्ते

1. (i) निविदाएं प्रिंटिंग प्रेस (प्रोपराईटर/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक आदि) द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निबंधित डाक से अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। निश्चित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

   (ii) निविदा जमा करने से पहले निविदाकर्ता को कार्य की मात्रा का आकलन करना चाहिए और आवश्यक गुणवत्ता और वितरण की समय सीमा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

2. कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार और निर्धारित अवधि के अंदर पूरा करना होगा।

3. सक्षम प्राधिकार के पास आपूर्तिकर्ता पर उसके कार्य निष्पादन को अस्वीकार करने, बदलने, संशोधित करने या लागू करने की शक्ति होगी, जो आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा। प्राधिकार को कार्य की प्रगति पर नजर रखने का अधिकार होगा और किसी भी स्थिति में कार्य की आनुपातिक प्रगति में कमी, आपूर्तिकर्ता समझौते के तहत जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कार्य के निष्पादन से पहले या उसके दौरान कार्य के विनिर्देशों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके परिणामस्वरूप शामिल कार्य की गुणवत्ता या मात्रा में वृद्धि या कमी होती है।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कार्य आदेश जारी करने में देरी के कारण या अनुमोदित विनिर्देश में किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की प्राप्ति न होने के कारण या किसी कारण से निलंबन या काम के कारण किसी भी क्षति या किसी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन सक्षम प्राधिकार द्वारा आनुपातिक समय सीमा तक देरी की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसी देरी अपरिहार्य समझी जाती है।

6. मुद्रण के लिए दिया गया मामला बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की सम्पत्ति है।

7. श्रम, हड़ताल, परिवहन आदि के कारण किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से कार्य में हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी भी नुकसान या मुआवजे के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

9. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा।

10. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उस कार्यशाला का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां सामग्री मुद्रित की जाती है।

11. निविदा पर निविदाकर्ता का पूरा नाम और पता हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि दिए गए पते पर भेजा गया पत्र उन तक नहीं पहुंचता है या बिना वितरित किये वापस लौट आता है तो यह निविदाकर्ता की जिम्मेवारी होगी। यदि पत्र वापस नहीं लौटता है तो यह माना जाएगा कि पत्र डाकघर में पोस्ट होने के बाद निविदाकर्ता तक पहुंच गया है। यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

12. निविदाकर्त्ता को प्रिंटिंग प्रेस के स्वामित्व/ लीज का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

13. आपूर्तिकर्ता कारीगर मुआवजा अधिनियम या अन्य सभी राज्य अधिनियम या नियमों या भारत सरकार और बिहार सरकार से उत्पन्न होने वाले सभी करों और मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। ऐसी किसी भी दायित्व के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

14. मुख्य चुनाव पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी विवाद या अनसुलझे दावे, मतभेद या गलतफहमी के कारण बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के खिलाफ ब्याज या क्षति का कोई दावा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आवधिक या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य संबंध में कार्यालय की ओर से किसी अपरिहार्य देरी के संबंध में भी किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

15. सभी कागजात जो प्रस्तावों का गठन करते हैं, निविदाकर्ता द्वारा डाउनलोड किए गए और प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज समझौते का हिस्सा होंगे और इसलिए इसे उद्धरित दरों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बरकरार रखा जाना चाहिए और कुछ भी अलग नहीं किया जाना चाहिए।

16. आवेदन पर कोई भी अन्य जानकारी कार्य दिवसों पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

17. सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर समझौते की शर्तो से परे किए गए किसी भी कार्य के लिए भुगतान सक्षम प्राधिकार द्वारा तय किया जाएगा।

18. चूंकि यह चुनाव से संबंधित कार्य है, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार में सामग्री प्राप्त होने तक मुद्रक/ आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखनी होगी। नमूना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त किया जा सकता है।

19. मुद्रक/ आपूर्तिकर्त्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुद्रित/ आपूर्ति सामग्री का कोई भी अतिरिक्त टुकड़ा मुद्रक/ आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नहीं रखा जाएगा।

20. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पास बिना किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने और कार्य को दो या दो से अधिक निविदाकर्त्ताओं के बीच वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह निविदाकर्त्ताओं पर बाध्यकारी होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (उनके प्रदर्शन के अनुसार) मात्रा को बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इसके विरूद्ध किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. फर्म को किसी भी राज्य/ केन्द्र सरकार के किसी भी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए।

22. सशर्त निविदाएं पूर्णत: अस्वीकार कर दी जायेंगी।।

सचिव
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,
पटना।

BSEA dt.18.07.2024 Raghu

परिशिष्ट–1

1. फर्म/ कंपनी/ मुद्रण प्रेस के प्रोपराईटर का नाम:
2. पता:

   (i) पंजीकृत कार्यालय:

   (ii) मुद्रण प्रेस का परिसर:

3. संलग्न अग्रधन राशि का विवरण (ड्राफ्ट संख्या सहित):
4. (i) क्या GST संख्या आदि से छूट दी गयी है, यदि हां जो कृपया विवरण दें (निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

   (ii) GST संख्या और तिथि (छायाप्रति संलग्न करें):

5. प्रोपराईटर का आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न करें):
6. पैन संख्या (छायाप्रति संलग्न करें):
7. यदि फर्म एक एस०एस०आई० इकाई है, बिहार एस०एस०आई० पंजीकरण संख्या और तिथि (मूल पंजीकरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें):
8. पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की एक प्रति (निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अभिप्रमाणित छायाप्रति, जो संलग्न की गयी है):
9. प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का वर्ष:
10. नवीनतम GST क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र की एक प्रति (निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अभिप्रमाणित छायाप्रति, जो संलग्न की गयी है):
11. (i) निविदाकर्ता की क्षमता, संसाधनशीलता और वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण।

    (ii) प्रत्येक कार्य के Work Order की छायाप्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित वित्तीय परिव्यय और पूर्ण किए गए कार्य की गति और दक्षता के साथ किए गए पाँच महत्वपूर्ण कार्यों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

    (iii) ऐसे परिमाण के कार्य को निष्पादित करने के लिए निविदाकर्ता के पास उपलब्ध मशीनों और तकनीकी कर्मियों की एक सूची।

    (iv) यदि निविदाकर्ता स्वामित्व वाली फर्म नहीं है, तो सक्षम द्वारा प्राधिकार का मूल निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम निकाय द्वारा प्राधिकृत की मूल प्रति।

    (v) निविदाकर्त्ता को प्रिंटिंग प्रेस के स्वामित्व/ लीज का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। (अभिप्रमाणित छायाप्रति)

टिप्पणी:

(i) मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ii) तकनीकी निविदा लिफाफे में परिशिष्ट–। और जैसा कि निविदा दस्तावेज में मांगे गये कागजात के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही ऐसा कुछ भी न लिखें जो वांछित न हो।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रोपराईटर/ प्राधिकृत हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि:

अनुसूची-।

दर बोली

निविदाकर्ता का नाम एवं पता: ....

....

....

क्र० सं०	कार्य का नाम (पैक्स निर्वाचन 2024 एवं विभिन्न सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु)	विशिष्टता	मात्रा	आकार (प्रति बंडल)	निविदाकर्ता द्वारा उद्धरित की जाने वाली दर (प्रत्येक इकाई के लिए)
1	2	3	4	5	6
1	पीठासीन पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर पुस्तक का आकार (11"x8") 90 GSM आर्ट पेपर के कवर के साथ (नमूने संलग्न करें)(लगभग 80 पृष्ठों का)	36,000	1,000 प्रति बंडल	
2	निर्वाची पदाधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर पुस्तक का आकार (11"x8") 90 GSM आर्ट पेपर के कवर के साथ (नमूने संलग्न करें)(लगभग 260 पृष्ठों का)	4,100	500 प्रति बंडल	
3	मतगणना अनुदेश की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर पुस्तक का आकार (11"x8") 90 GSM आर्ट पेपर के कवर के साथ (नमूने संलग्न करें)(लगभग 60 पृष्ठों का)	10,400	500 प्रति बंडल	
4	निर्वाचन हस्तक की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर पुस्तक का आकार (11"x8") 90 GSM आर्ट पेपर के कवर के साथ (नमूने संलग्न करें)	8,600	500 प्रति बंडल	
5	नोमिनेशन फॉर्म सहित विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर आकार (11"x8.5") (नमूने संलग्न करें)(नामांकन प्रपत्र 11 पृष्ठों का)	1,40,000	250 प्रति बंडल	
6	विभिन्न प्रकार के बहुरंगी पोस्टरों की छपाई एवं आपूर्ति	90 GSM कोट आर्ट पेपर पर (23"x17.5") (नमूने संलग्न करें)	60,000	500 प्रति बंडल	
7	पैम्फलेट (जागरूकता कार्यक्रम) की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर आकार (11"x8.5") (नमूने संलग्न करें) (05 पृष्ठों का)	60,000	500 प्रति बंडल	
8	पैम्फलेट (क्या करें क्या न करें) की छपाई एवं आपूर्ति	60 GSM पेपर पर आकार (11"x8.5") (नमूने संलग्न करें) (03 पृष्ठों का)	60,000	500 प्रति बंडल	

मैं/ हम ''निविदाकर्ताओं को नोट्स'' और ''विशेष शर्तों'' में निर्धारित शर्तों के लिए बिना शर्त सहमत हूँ/ हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रोपराईटर/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
पता:

स्थान:
तिथि: